जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 333 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 26 जून, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

कई वर्षों बाद अशोक गहलोत 10 जनपथ में प्रवेश पा सके

राजीव गांधी नैशनल रिलीफ फण्ड की बैठक थी तथा कई पुराने नेता, जैसे पवन बंसल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, जनार्दन द्विवेदी व गहलोत इस फण्ड के पुराने सदस्य हैं

- कई सालों से बैठक नहीं हुई थी, अतः कई तकनीकी कमियां उभर आई थीं, जिन्हें दूर करना आवश्यक हो गया था।
- गहलोत व गांधी परिवार में काफी दूरियां हो गई हैं। अतः गहलोत का बैठक में भाग लेने का न्यौता बड़ी बात है, पर, इतनी बड़ी भी बात नहीं है, जितना गहलोत समर्थक ढिंढोरा पीट-पीट कर प्रचारित कर रहे हैं।
- यह भी सच है कि गहलोत काफी समय से गांधी परिवार से मिलने के इच्छुक थे, पर, बात नहीं बन रही थी।
- गहलोत किसी भी तरह से एआईसीसी में एडजस्ट होना चाह रहे हैं, पर, प्रयासों को सफलता नहीं मिल रही है।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान के प्रभारी रंधावा ने के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की और राजस्थान में पार्टी में काफी रद्दोबदल पर काफी चर्चा हुई।
- सबसे बड़ा परिवर्तन जो प्रस्तावित है, वह है नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति, डोटासरा के स्थान पर।
- डोटासरा को रंधावा के अलावा के.सी. वेणुगोपाल का समर्थन प्राप्त है, पर, दूसरी ओर यह भी अनिवार्य है कि नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति अति अनिवार्य है, राजस्थान में, अगर पार्टी अगले चुनाव में जीतना चाहती है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25जून। राजस्थान में हुए चर्चित राजनीतिक विद्रोह के बाद, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की थी, तब से गांधी परिवार और 10 जनपथ की नजरों में वे "अवांछित" हो गए थे। लेकिन आज, कई वर्षों के अंतराल के बाद, अशोक गहलोत ने 10 जनपथ में प्रवेश किया।

सूत्रों के अनुसार, यह बैठक राजीव गांधी राष्ट्रीय राहत कोष की थी, जिसके सदस्य कई वरिष्ठ नेता हैं। इनमें पवन बंसल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, जनार्दन द्विवेदी और अशोक गहलोत शामिल हैं।

एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस ट्रस्ट की बैठक कई वर्षों से नहीं हुई थी और कुछ तकनीकी समस्याओं को दूर करना आवश्यक था।

बैठक में पवन बंसल द्वारा कुछ नए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, जबकि कुछ पुराने प्रावधान हटाने की मांग भी की गई, जिसे बैठक में स्वीकार कर लिया गया।

गांधी परिवार और अशोक गहलोत के बीच विश्वास की कमी होने के बावजूद, ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए भेजे गए निमंत्रण को मीडिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोक अदालत ने नीलामी रद्द करना गलत माना, हाउसिंग बोर्ड पर जुर्माना लगाया

जयपुर, 25 जून। स्थायी लोक अदालत, महानगर प्रथम ने शहर के मानसरोवर में दुकानों की नीलामी आयोजित करने के बाद, उसे बाद में निरस्त करने को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने आवासन मंडल पर 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, तथा अदालत ने नीलामी में सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा है।

- अदालत ने सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने के आदेश भी दिए।

पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार सहारिया और सदस्य बलदेवराज बेनीवाल ने यह आदेश प्रवीण कुमार शर्मा के परिवाद पर दिए।

अदालत ने कहा कि आवासन मंडल की 16 सितंबर 2019 की अधिसूचना में स्पष्ट प्रावधान है कि एकल बोलीदाता होने के आधार पर नीलामी निरस्त नहीं की जाएगी। बोर्ड ने 28 जनवरी 2014 के आदेशों के तहत नीलामी रद्द की, जबकि इसके बाद की अधिसूचना और आदेश इसके खिलाफ हैं।

ऐसे में पहले के आदेश को बाद के आदेशों पर वरीयता नहीं दी जा सकती। इसलिए आवासन मंडल का नीलामी को निरस्त करना अवैध, अनुचित और मनमाना कृत्य है।

'पासपोर्ट होना, नागरिकता का प्रमाण नहीं है'

विदेश मंत्रालय के बड़े अफसर के अनुसार, पासपोर्ट केवल "यात्रा" के लिए तैयार किया गया दस्तावेज है

- पासपोर्ट के होने से कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिकों के लिए दी गई कई "वेलफेयर स्कीम्स" का हकदार नहीं हो जाता।
- सरकार, पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि आधार कार्ड व वोटर आइडैंटिटी कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- इसके विपरीत यह तर्क दिया गया है कि पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, पूरी तरह बैक-ग्राउण्ड जानकारी प्राप्त करने के बाद, जिसमें पुलिस वैरिफिकेशन भी शामिल है तथा इस प्रक्रिया से यह स्थापित हो जाता है कि पासपोर्टधारी भारत का नागरिक है।
- एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कई बार गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया गया, अगर ऐसा करने से कूटनीतिक लाभ हो रहा हो और विशेष परिस्थितियाँ हों।
- बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार, 1967 के पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 में यह स्पष्ट लिखा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। इस सप्ताह तीखी ऑनलाइन बहस के बाद, सरकार के सूत्रों ने जोर देकर कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। बहस की शुरुआत विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी की उस टिप्पणी से हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है।

अब तक बहुत से लोग मानते थे कि पासपोर्ट, धारक को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देता है। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि कानूनी रूप से ऐसा नहीं है। इसके बाद पासपोर्ट के उद्देश्य, उसकी कानूनी स्थिति और व्यवहारिक उपयोग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

विवाद तब शुरू हुआ, जब विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट "पूरी तरह से एक यात्रा दस्तावेज" है और इसे नागरिकता के सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि इसे जारी करने का यह मतलब नहीं है कि धारक की भारतीय नागरिकों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच हो ही जायेगी तथा उनका लाभ मिल ही जायेगा।

सरकार यह पहले ही कह चुकी है कि आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं।

इसके बाद एक्स पर गंभीर और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई।

"नागरिकता का प्रमाण नहीं? यह तो बेतुकी बात है।"

कई लोगों ने कहा कि पासपोर्ट केवल भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसके लिए विस्तृत जाँच-पड़ताल की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति के निवास संबंधी विवरण का पुलिस द्वारा भौतिक सत्यापन भी शामिल होता है। पासपोर्ट में स्पष्ट रूप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा में भारी उथल-पुथल होने के आसार नज़र आ रहे हैं

मुख्य टारगेट हैं मध्य प्रदेश के मु.मंत्री मोहन यादव और इस परिवर्तन की शृखंला में यूपी के मु.मंत्री को घेरा जा रहा है तथा बिहार के मु.मंत्री सम्राट चौधरी पर भी सोशल एक्टिविस्ट भारत भूषण तिवाड़ी हत्याकांड को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया जा रहा है

- अयोध्या के राम मंदिर में भी चढ़ावे में पैसे की गड़बड़ी में भाजपा के दो ग्रुप आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
- ऐसे माहौल में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन भी संगठन में तब्दिलियाँ कर रहे हैं तथा पार्टी का पब्लिसिटी विभाग, अपने नेताओं की छवि को बचाने का कोई खास प्रयास नहीं कर रहा।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। पिछले कुछ सप्ताहों में भाजपा के भीतर असामान्य घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े भूमि सौदों की खबरों के बाद भाजपा और आरएसएस नेताओं ने उनके बचाव में अपेक्षाकृत चुप्पी साध रखी है। राजस्थान में संघ परिवार का प्रचार तंत्र मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बहुत धार्मिक होने की छवि की भी बहुत सक्रिय रुप से खिलाफत नहीं कर रहा है। बिहार में सहयोगी दल के नेता उपेन्द्र कुशवाहा तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सहित, कई वरिष्ठ नेता 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता भारत भूषण तिवारी की हत्या से जुड़े मामले को संभालने के तरीके को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। अयोध्या मंदिर में धन के कथित गबन के मामले में भी भाजपा नेतृत्व का एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिक्षक भर्ती-2025 की उत्तर कुंजी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

जयपुर, 25 जून। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल प्रथम की परीक्षा में विवादित प्रश्न-उत्तर से जुड़े मामले में अंतिम

- याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 29 जून को होगी।

उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ममता यादव व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार की है। याचिका पर हाईकोर्ट में 29 जून को सुनवाई होगी।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि भर्ती के इन विवादित प्रश्न-उत्तर पर विषय विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए। वहीं भर्ती का दुबारा से परिणाम जारी किया जाए और तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

करोड़ों एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में एक्सैलरोमीटर भूकंप की प्राइमरी कंपन को महसूस करते हैं

और गूगल इन सभी मोबाइल फोन्स के कंपन के आधार पर आने वाले भूकंप का लोकेशन व साइज़ का अच्छा अदांज़ लगा लेते हैं

- तकनीकी विशेषज्ञों के इस अनुभव ने यह स्थापित कर दिया कि भूकंप का आना तो साइंस नहीं रोक सकती, पर, जल्दी चेतावनी मिलने से भूकंप से होने वाली हानि को जरुर कम किया जा सकता है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25जून। वेनेज़ुएला में लाखों लोगों को उनके एंड्रॉयड फोन पर जमीन हिलने से कुछ क्षण पहले चेतावनी संदेश मिला।

यह चेतावनी इस दक्षिण अमेरिकी देश में जबरदस्त भूकंप आने से कुछ सैकंड पहले ही मिली थी। हालांकि, यह समय बहुत कम था, लेकिन इन कुछ सैकंड ने एक बार फिर दुनिया भर में इस सवाल को चर्चा का विषय बना दिया- क्या तकनीक प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की जान बचाने में मदद कर सकती है?

विशेषज्ञों का जवाब है, हां, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ।

गूगल ने भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की थी। इसके बजाय, उसने भूकंप के शुरुआती संकेतों को पहचान लिया और तेज झटके आने से पहले प्रभावित क्षेत्र के लोगों को चेतावनी भेज दी।

रिपोर्टों के अनुसार, गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम ने शुरुआती भूकंपीय गतिविधि का पता लगाया और विनाशकारी झटके पहुंचने से पहले आसपास के उपयोगकर्ताओं को चेतावनी भेज दी। यह तकनीक अरबों एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर आधारित है, जिनमें लगे मोशन सेंसर जमीन की बेहद हल्की हलचल को भी महसूस कर सकते हैं।

एचआर एनेक्सी की बीओटीएस.एआई के निदेशक निखर अरोड़ा ने कहा कि वेनेज़ुएला की यह घटना दिखाती है कि भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कितनी विकसित हो चुकी है।

उन्होंने कहा, "जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, गूगल ने भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की थी। उसने केवल भूकंप के शुरुआती संकेतों का पता लगाया और तेज झटके शुरू होने से पहले चेतावनी जारी कर दी।"

उन्होंने बताया कि एंड्रॉयड फोन एक विशाल सेंसर नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इनमें लगे एक्सेलेरोमीटर प्राथमिक भूकंपीय तरंगों, यानी पी-वेव्ज़ को पहचान लेते हैं, जो अधिक विनाशकारी एस-वेव्ज़ की तुलना में तेजी से यात्रा करती हैं।

अरोड़ा ने कहा, "जब बड़ी संख्या में उपकरणों में एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है, तो गूगल के एल्गोरिद्म भूकंप के स्थान और तीव्रता का अनुमान लगाते हैं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री 27 जून को सेशल्स जायेंगे

नई दिल्ली, 25 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिन्द महासागर के खूबसूरत द्वीपीय देश सेशेल्स की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए शनिवार को तीन दिन की यात्रा पर सेशेल्स जाएंगे।

विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री 27-29 जून को सेशेल्स की राजकीय यात्रा करेंगे। वे रविवार को 'विशिष्ट अतिथि' के तौर पर सेशेल्स के

- वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे।

राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। इस समारोह में भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो जहाज हिस्सा लेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हर्मिनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जमीन खाली कराने के लिए कलेक्टर-एसडीएम के आदेश पर रोक

हाईकोर्ट ने सीकर कलेक्टर व श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी सहित संबंधित पक्षकारों को 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान पेश होने के आदेश दिए

- ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में रूपपुरा-उदलवास के खसरा नंबर 68 से 74 की भूमि को लेकर एक पक्ष द्वारा तथ्य छिपाकर शिकायत की गई थी, जिस पर सीएमओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 25 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर कलेक्टर व श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी की ओर से 12 जून को जारी उस आदेशों पर रोक लगाई है, जिसमें रूपपुरा-उदलवास के खसरा नंबर 68 से 74 तक के तथाकथित कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के संबंध आदेश दिए गए थे।

उल्लेखनीय है कि सीकर कलेक्टर व श्रीमाधोपुर एसडीएम को जमीन खाली करवाने के आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले थे, क्योंकि इस संबंध में सीएम की जनसुनवाई में "एक पक्ष" द्वारा तथ्यों को छुपाकर अतिक्रमण को लेकर शिकायत दी गई थी, जबकि यह प्रकरण पिछले कई वर्षों से अदालत में लंबित चल रहा है। हाईकोर्ट ने सरदार सिंह कुमावत व रामचंद्र प्रजापति की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलवाटिया पैरवी के लिए पेश हुए थे। न्यायाधीश अनुरूप सिंघी ने जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर व अन्य पक्षकारों को इस मामले की अगली सुनवाई, 11 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। साथ ही, अदालत ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन याचिकाकर्ता के खिलाफ फिलहाल कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे।

अधिवक्ता अनुराग कलवाटिया ने अदालत को बताया था कि इस मामले में याचिकाकर्ता सरदार सिंह कुमावत व रामचंद्र प्रजापति के पक्ष में 15 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) नीमकाथाना ने यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए थे। ये तथ्य शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में उजागर नहीं किए गए थे।

राहुल गांधी ने खेद जताया, मानहानि का केस समाप्त

- केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने राहुल गाँधी का खेद स्वीकार किया व केस समाप्त करने की सहमति दी।

जबलपुर, 25 जून। मध्य प्रदेश की सियासत का एक लंबा और चर्चित कानूनी विवाद आखिरकार सौहार्दपूर्ण मोड़ पर गुरुवार को समाप्त हो गया। दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच चल रहा मानहानि का मामला पूरी तरह सुलझ गया है।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस वक्त भूलवश उनके मुंह से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम निकल गया था, जबकि उनका आशय किसी अन्य व्यक्ति से था। अपने बयान पर खेद जताते हुए उन्होंने माननीय न्यायालय से राहत की मांग की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व मैं ही करुंगा - नवीन पटनायक

भुवनेश्वर, 25 जून। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वर्ष 2029 के आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व वही

- पटनायक की घोषणा ने पार्टी में असमन्जस की स्थिति समाप्त की।

करेंगे। उनके इस बयान के साथ ही, पूर्व आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन को पार्टी के भविष्य के चेहरे के रूप में पेश किए जाने संबंधी अटकलों पर विराम लग गया है।

बीजद मुख्यालय शंख भवन में पूर्व आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नवीन पटनायक ने अपनी मंशा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)